

(ख) दो वर्ष के अन्दर शीतगृह के निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए सर्व प्रथम इच्छुक उद्यमी को निम्नानुसार अभिलेखों की आवश्यकता होती है।

लाइसेन्स हेतु आवेदन पत्रः-

प्रपत्र संख्या-2

(धारा 4 देखिए)

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अध्यादेश, 1976 के अधीन लाइसेन्स के लिए आवेदन-पत्र

<p>1-- (1) आवेदक का नाम, पिता का नाम और पता-</p> <p>(2) स्वामी का (स्वामियों के) नाम, पिता का नाम और पता-</p> <p>2-- कोल्ड स्टोरेज का नाम और स्थिति, पत्र-व्यवहार का पता, थाना और जिला--</p> <p>3-- कोल्ड स्टोरेज का आकार--</p> <p>(1) कक्षों की संख्या-</p> <p>(2) एकशः कोल्ड स्टोरेज की कक्षों का आकार- (लम्बाई, चौड़ाई तथा ऊँचाई (मीटर में)।</p> <p>(3) समस्त कोल्ड स्टोरेज कक्षों का कुल स्थान (घनमीटर में)।</p> <p>4-- (1) भवन, संरचना का प्रकार</p> <p>(2) जल-सम्भरण का प्रबन्ध</p> <p>(3) बिजली के सम्भरण का प्रबन्ध</p> <p>(4) स्टोर करने की रीति</p> <p>(5) रेकों की संरचना/प्रबन्ध के ब्योरे</p> <p>(6) प्रयुक्त प्रशीतन (रेफ्रीजरेन्ट) तथा सुरक्षा प्रबन्ध</p> <p>(7) क्या पूर्वशीतन (प्री-कूलिंग) की जाती है तो क्या कोई पूर्व शीतन कक्ष (प्री-कूलिंग चम्बर) है?</p> <p>(8) क्या आपरेटरों के लिये कोल्ड स्टोरेज के भू-गृहादि में अथवा सभी ही क्वार्टरों की व्यवस्था है</p> <p>(9) प्रबन्धक, टेक्नीशियन, टेक्निकल सुपरवाइजर/आपरेटर इत्यादि की योग्यतायें तथा अनुभग।</p> <p>5-- प्रशीतक यंत्र (फ्रिजिंग प्लान्ट) की क्षमता</p> <p>6-- ब्योरे सहित मशीनरी की सूची।</p> <p>7-- अधिष्ठान मोटरों/प्राइम-मूवरों की कुल अश्वशक्ति (हार्स पावर)</p> <p>8-- सहायक यूनिट अथवा यूनिटों के, यदि कोई हों, ब्योरे</p> <p>9-- स्टोर करने के लिये स्वीकार किये जाने वाले कृषि उत्पाद (उत्पादों) के नाम</p> <p>10-- कोषागार का नाम और राशि जमा किए गए संलग्न कोषागार चालान की संख्या, दिनांक तथा राशि</p> <p>11-- अवधि, जिसके लिए लाइसेन्स अपेक्षित है।</p> <p>12-- स्टोर करने के उपशुल्क, किराया प्रभार की अनुसूची जिन्हें वसूल किया जाता है अथवा जिन्हें करायादाताओं से वसूल किये जाने का प्रस्ताव है।</p> <p>13-- मैं/हम घोषित करता हूँ/करते हैं कि यहां पर दी गयी सूचना अथवा ब्योरे मेरी/हमारी सबोत्तम जानकारी तथा विश्वास में सत्य है।</p> <p>14-- मैं/हम उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अध्यादेश, 1976 इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का और उन निदेशों के अनुपालन करने का वचन देता हूँ देते हैं, जो लाइसेन्स अधिकारी द्वारा उक्त अध्यादेश या नियमों के अधीन समय-समय पर जारी किये जायें।</p>	
---	--

दिनांक-

अवेदक/(अवेदकों) के हस्ताक्षर

अवधेय-

इस आवेदन-पत्र पर निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षर किया जायगा:-

(1) स्वामी का स्वामियों में से एक के द्वारा जहां कोल्ड स्टोरेज को प्राइवेट व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा चलाने का प्रस्ताव हो,

या

(2) महा प्रबन्धक या प्रबन्धक द्वारा कोल्ड स्टोरेज को निगम/सार्वजनिक उपक्रम द्वारा चलाने का प्रस्ताव हो,

या

(3) सचिव द्वारा जहां कोल्ड स्टोरेज को सहकारी समिति द्वारा चलाने का प्रस्ताव हो।

नये शीतगृह निर्माण के पश्चात लाइसेन्स हेतु उक्त आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रपत्र अनिवार्य हैं, जो निम्नवत् हैं:-

1. भवन के सुदृढ़ निर्माण के सम्बन्ध में सक्षम इन्जीनियर का प्रमाण पत्र।

2. मशीनरी के सम्बन्ध में सक्षम इन्जीनियर का प्रमाण पत्र।

3. यदि अनुज्ञा से पूर्व विद्युत लोड स्वीकृत न हुआ हो तो विद्युत लोड स्वीकृत विषयक पत्र की फोटो कापी।

4. जनरेटर की उपलब्धता के संबंध में प्रमाण पत्र।

5. मशीनरी की सूची-

6. पार्टनरशिप डीड/मेमोरेण्डम।

7. बीमा सम्बन्धी कागजात-

(अ) भवन मशीनरी तथा स्टाक (आग एवं अन्य प्रकार की क्षतियों का)

(ब) मशीनरी ब्रेक डाउन।

8. निमार्णपरान्त मानचित्र का वास्तविक ब्लूप्रिन्ट (मीटर मापों में)

9. लाइसेन्स प्राप्त हेतु जमा की गयी धनराशि का मूल ट्रेजरी चालान।

10. नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के अन्तर्गत भूकम्प रोधी/भवन सुदृढ़ता प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी द्वारा नामित सक्षम अभियन्ता द्वारा।